

# न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बनेड़ा जिला भीलवाड़ा

पीठासीन अधिकारी श्रीकान्त व्यास आर0ए0एस0

मुकदमा नम्बर- 75/2025 राजस्व प्रार्थना पत्र

उगवान

- 1- रामपाल पिता भूरा रेगर निवासी बनेड़ा तहसील बनेड़ा जिला भीलवाड़ा
- 2- गटू पत्नि देबीलाल रेगर निवासी बनेड़ा तहसील बनेड़ा जिला भीलवाड़ा
- 3- घीसी पत्नि भूरा रेगर निवासी बनेड़ा तहसील बनेड़ा जिला भीलवाड़ा
- 4- रतनलाल पिता देबीलाल रेगर निवासी बनेड़ा तहसील बनेड़ा जिला भीलवाड़ा
- 5- लोकेश पिता देबीलाल रेगर निवासी बनेड़ा तहसील बनेड़ा जिला भीलवाड़ा
- 6- मोहन पिता प्रताप रेगर निवासी बनेड़ा तहसील बनेड़ा जिला भीलवाड़ा
- 7- शंकर पिता मोहन रेगर निवासी बनेड़ा तहसील बनेड़ा जिला भीलवाड़ा
- 8- रमेश पिता मोहन रेगर निवासी बनेड़ा तहसील बनेड़ा जिला भीलवाड़ा — प्रार्थीगण



बनाम

- 1- गीता पुत्री कूका कालबेलिया निवासी आमली, बबराणा तहसील व जिला भीलवाड़ा
- 2- नेती पत्नि कूका कालबेलिया निवासी आमली, बबराणा तहसील व जिला भीलवाड़ा
- 3- मन्जू पुत्री कूका कालबेलिया निवासी आमली, बबराणा तहसील व जिला भीलवाड़ा
- 4- मीरा पुत्री कूका कालबेलिया निवासी आमली, बबराणा तहसील व जिला भीलवाड़ा
- 5- महेन्द्र पिता कूका कालबेलिया निवासी आमली, बबराणा तहसील व जिला भीलवाड़ा
- 6- अब्दुल गफार पिता अब्दुल हमीद मुसलमान निवासी बनेड़ा तहसील बनेड़ा जिला भीलवाड़ा
- 7- जाकीर हुसैन पिता अब्दुल हमीद मुसलमान निवासी बनेड़ा तहसील बनेड़ा जिला भीलवाड़ा
- 8- मोहम्मद हुसैन पिता अब्दुल हमीद मुसलमान निवासी बनेड़ा तहसील बनेड़ा जिला भीलवाड़ा
- 9- राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार साहब बनेड़ा जिला भीलवाड़ा
- 10- किशनलाल पिता घीसूलाल माली निवासी आमली त0बनेड़ा जिला भीलवाड़ा

—अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111-128 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956  
उपस्थित- श्री प्रताप तेली ( अधिवक्ता प्रार्थीगण)

निर्णय

दिनांक :- 09.06.2025

प्रार्थीगण की ओर से प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111-128 राज० भू० राज० अधिनियम 1956 के तहत प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि ग्राम आमली पटवार हल्का बबराणा व भू.अ. निरीक्षक क्षेत्र महुआखुर्द तहसील बनेड़ा की नकल जमाबन्दी संवत् 2073 से 2076 के नवीन खाता सं. 138 में दर्ज आराजी नम्बर 484/350 रकबा 1.0117 हैक्टर, आ0नं0 485/349 रकबा 0.1897 हैक्टर कुल कीता 2 कुल रकबा 1.2014 हैक्टर भूमि के प्रार्थीगण संयुक्त खातेदार काश्तकार है। वादग्रस्त आराजियात की भूमि का अप्रार्थीगण पडौसी है। प्रार्थीगण एवं अप्रार्थीगण के मध्य प्रश्नगत आराजी के सीमा चिन्ह नहीं होने से आये दिन सीमा संबंधी विवाद उत्पन्न होता रहता है। इसलिए प्रार्थीगण अपने खाते की कृषि भूमि की पत्थरगढी कराना चाहते हैं। आवेदन स्वीकार किया जाकर पत्थरगढी के आदेश प्रदान कराया जावे।

प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र पंजीबद्ध किया गया। अप्रार्थीगण की तलबी हेतु सम्मन नोटिस जारी किया गया। चूंकि प्रकरण मात्र सीमा जानकारी/पत्थरगढी का होने से न्यायहित में अधिवक्ता प्रार्थीगण की एक तरफा बहस सुनी गई। अधिवक्ता प्रार्थीगण ने राजस्व प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए प्रार्थना पत्र स्वीकार करने हेतु निवेदन किया गया। पत्रावली का एवं प्रस्तुत खाते की नकल जमाबन्दी व नक्शा ट्रेस प्रार्थीगण एवं विपक्षीगण का अवलोकन किया गया। ग्राम आमली पटवार हल्का बबराणा व भू.अ.निरीक्षक क्षेत्र महुआखुर्द तहसील बनेड़ा की नकल जमाबन्दी संवत् 2073 से 2076 के नवीन खाता सं. 138 में दर्ज आराजी नम्बर 484/350 रकबा 1.0117 हैक्टर, आ0नं0 485/349 रकबा 0.1897 हैक्टर कुल कीता 2 कुल रकबा 1.2014 हैक्टर भूमि प्रार्थीगण के नाम पर संयुक्त खातेदारी से दर्ज है। प्रार्थीगण अपने खाते की उक्त कृषि भूमि


की पत्थरगढी कराने के अधिकारी है। इस आदेश से किसी भी पक्षकार का राजस्व अभिलेख में किसी प्रकार का हक व अधिकार तय नहीं होते है तथा किसी प्रकार का राजस्व रिकॉर्ड में परिवर्तन भी नहीं किया जा सकता है। अतः नैसर्गिक सिद्धान्त के आधार पर प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य होने से प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना उचित समझते है। अतएव—

// आदेश //

प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र धारा-111-128 राजस्थान लेण्ड रेवेन्यू एक्ट 1956 के तहत स्वीकार किया जाकर ग्राम आमली पटवार हल्का बबराणा व भूअ.निरीक्षक क्षेत्र महुआखुर्द तहसील बनेड़ा की नकल जमाबन्दी संवत् 2073 से 2076 के नवीन खाता सं. 138 में दर्ज आराजी नम्बर 484/350 रकबा 1.0117 हैक्टर, आ0नं0 485/349 रकबा 0.1897 हैक्टर कुल कीता 2 कुल रकबा 1.2014 हैक्टर भूमि की सीमा जानकारी के लिये पत्थरगढी किये जाने का आदेश दिया जाता है। पत्थरगढी किये जाने के लिये भू0अ0निरीक्षक महुआखुर्द को 1000/- रूपये कमिश्नर फीस पर कमिश्नर नियुक्त किया जाता है। कमिश्नर उभयपक्षकरान को विधिवत नोटिस तामिल करा उन्हें मौके पर उपस्थित रहने हेतु पाबंद करावे। कमिश्नर फीस प्रकरण मौके पर जमा करावें। पत्थरगढी करने के पश्चात यदि यह पाया जाता है कि प्रार्थीगण की भूमि पर अन्य काश्तकार का या किसी अन्य व्यक्ति का कब्जा है तो ऐसी स्थिति में प्रार्थी विधिवत कब्जा प्राप्त करने हेतु सक्षम न्यायालय में वाद दायर करने हेतु स्वतंत्र है। उक्त आदेश के तहत किसी प्रकार से राजस्व रेकार्ड में फेरबदल नहीं किया जावे। यदि प्रार्थीगण की उपरोक्त खातेदारी भूमि के संबंध में अन्य न्यायालयों में कार्यवाही विचाराधीन होने एवं स्थगन होने पर पत्थरगढी कार्य नहीं किया जावे। अतः भू0अ0निरीक्षक महुआखुर्द जो कि उक्त प्रकरण में कमिश्नर है, मौके पर उपस्थित प्रार्थीगण व विपक्षीगण की उपस्थिति में पत्थरगढी की जाकर पर्चा मौका मय मानचित्र प्रस्तुत करे। पत्थरगढी किये जाने के लिये तहसीलदार बनेड़ा को पालना हेतु लिखा जावे।

निर्णय आज दिनांक 09-06-2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर कोर्ट मुख्यालय पर सुनाया गया।



  
(श्रीकान्त व्यास)  
उपखण्ड अधिकारी  
बनेड़ा जिला भीलवाड़ा